न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

अपील संख्या :–241/2020 निर्णय दिनांक :–

उनवान

1. ऊषा जौहरी पत्नि स्व .सुभाष चन्द्र
2. मनीष जौहरी पुत्र स्व. सुभाष चन्द्र जौहरी निवासीयान– प्लाट नं . 203 ,वशुन्धरा कॉलोनी , टोंक रोड ,जयपुर राज

–वादी

बनाम

1. शान्ति देवी पुत्री छीतर मल जाति अहीर , निवासी– ग्राम सीमल्यावास वाटिका , तहसील चाकसू , जिला जयपुर राज।
2. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू , जिला जयपुर

––अप्रार्थीगण

वाद पत्र बाबत घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा

वादीगण की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया कि वाके ग्राम सीमल्यावास वाटिका पटवार क्षेत्र सीमल्यावास तहसील चाकसू जिला जयपुर में आराजी खसरा नंबर 603 रकबा 0.21 है0, खसरा नंबर 604 रकबा 0.02 है0, खसरा नंबर 612 रकबा 0.08 है0, खसरा नंबर 613 रकबा 0.08 है0, खसरा नंबर 669 रकबा 0.31 है0, खसरा नंबर 673 रकबा 0.36 है0, खसरा नंबर 792 रकबा 0.27 है0, खसरा नंबर 812 रकबा 0.19 है0, खसरा नंबर

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

816 रकबा 0.44 है0, खसरा नंबर 970 रकबा 0.77 है0, खसरा नंबर 972 रकबा 0.95 है0, खसरा नंबर 973 रकबा 0.42है0 , कुल किता 12 कुल रकबा 4.10 है0 स्थित है। जिसमें से वादीगण के पूर्वज स्व. सुभाष चन्द्र जौहरी जी ने प्रतिवादी सं. 01 का हिस्सा 1/3 दर हिस्सा 1/2 अर्थात 1/6 हिस्सा अर्थात 0.50 है0 संपूर्ण को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 03.02.2011 को क्रय किया था मौके पर कब्जा संभला लिया था उसके बाद वादीगण उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। उक्त आराजी जो जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादीगण के पूर्वज स्व. सुभाष चन्द्र जी ने क्रय की उसके नामान्तकरण बाबत तहसीलदार के प्रार्थना पत्र पेश कर दिया था पर राजस्व कर्मियों की गलती से उक्त आराजी का नामान्तकरण वादीगण के पूर्वज स्व. सुभाष चन्द्र जी के नहीं खुला इसी दरमियान दिनांक 01.10.2011 को वादीगण के पूर्वज स्व. सुभाष चन्द्र जी का असामयिक निधन हो गया पर वादीगण अपने हिस्से अनुसार उपरोक्त आराजी पर काबिज काश्त है। जब वादीगण को उक्त आराजी का नामान्तकरण अपने स्वयं के नाम हेतु तहसील कार्यालय से राजस्व रिकार्ड निकलवाया तो पता चला कि उनके पूर्वज सुभाष चन्द्र जी के ही हक में नामान्तकरण नहीं खुला है। इसलिये उनके विरासत का नामान्तकरण नहीं खुल सकता है। जिसके लिये वादीगण तहसीलदार साहब व पटवारी जी इत्यादि के चक्कर पर चक्कर लगाते रहे तब अन्त में तहसीलदार जी ने कहा कि न्यायालय से खातेदारी घोषणा करवाने का आदेश करवाओ तब नामान्तकरण खोलेगे। उक्त आराजी वादीगण के पूर्वज की क्रय शुदा संपत्ति है तथा उक्त के वादीगण जरिये उत्तराधिकारी मालिक व स्वामी है तथा न्यायालय श्रीमान से खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकार रखते है

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर)

जब वादीगण द्वारा बार बार राजस्व कर्मियों के चक्कर लगाने के बावजूद अन्त में दिनांक 20.08.2020 को राजस्व कर्मियों द्वारा खातेदारी नामान्तकरण खोलने से इंकार करने पर वादीगण को उक्त दावा घोषणा खातेदारी का पेश करना लाजमी हुआ। वाद कारण वादीगण द्वारा बार बार राजस्व कर्मियों के चक्कर लगाने के बावजूद अन्त में दिनांक 20.08.2020 को राजस्व कर्मियों द्वारा खातेदारी नामान्तकरण खोलने से इंकार करने पर से उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। यह कि दावा अन्दर मियाद कानून मियाद हैं। मान्य न्यायलय को दावा सुनने व तय करने का क्षेत्राधिकार को प्राप्त है। दावा वादीगण बहक प्रतिवादी स. 1 के विरूद्ध डिक्री किया जाकर वाद पत्र में मद नं. 1 में वर्णित आराजी खाता सं. 191 में खसरा नंबर 612, 613, 669 , 673, 792, 812, 816, 970, 972, 973 कुल किता 10 कुल रकबा 3.87 है0 में से में प्रतिवादी सं. 01 के हिस्से 50/337 का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी पेदा नहीं करे, ना ही भूमि का बेचान, रहन, दान, हस्तान्तकरण आदि करे, ऐसा ना तो स्वयं करे ना ही अन्य से करावे। अन्य कोई अनुतोश जो मान्य न्यायालय उचित समझे प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें। दावा वादी वकील वादी द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया तो प्रतिवादी द्वारा दिनांक 10.09.2020 को हाजीर अदालत होकर जवाब दावा सहमति पत्र पेश किया कि दावे में अंकित सभी मद नं. 1, 2, 4 स्वीकार है एवं तीन अस्वीकार करते हुये अंकित किया है कि वादी का दावा डिक्रि कर वाद में वर्णित आराजी में मेरे हिस्से 50/387

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

का खातेदार वादीगण को घोषित कर दिया जावे तो मुझे कोई आपत्ति नही है।

जवाब दावा इकबाली पेश होने पर बहस वकील वादी की सुनी गयी तो वादी वकील के दावे का समर्थन करते हुये कथन किया कि राजस्व कर्मचारियों की वजह वादी के नाम मुताबिक रजिस्ट्री नामान्तकरण नही खुल सका, मौके पर वादग्रस्त भूमि पर भुमि क्रय की तब से वादीगण का कब्जा काश्त चला रहा है। प्रतिवादी की सहमति जारी कर दी गयी है। अतः दावा वादी डिक्रि कर दिया जावें। वकील वादी की बहस पर गोर किया व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज एवं प्रतिवादी की सहमति जवाब का परीक्षण किया तो उक्त आराजी विक्रय पत्र दिनांक 03.07.2011 को वादीगण के पूर्वज ने प्रति सं. 1 का हिस्सा 1/3 दर हिस्सा 1/2 अर्थात 1/6 हिस्सा अर्थात 0.50 है0 सम्पूर्ण को जरिये विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा संभाल लिया गया था जिस पर वादीगण उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण के पूर्वज ने क्रय की उसके नामन्तरकरण बाबत् तहसीलदार को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था, किन्तु राजस्व कर्मचारियों की वजह से नामान्तकरण नही खुला इसी दरम्यान दिनांक 01.10.2011 को वादीगण ने पुर्वज सुभाष का आकस्मिक निधन हो गया। वादीगण ने अपने नाम सुभाष चन्द के हक का नामान्तकरण खुलवाने हेतु तहसीलदार को प्रार्थना पत्र पेश किया तो, तहसीलदार ने कहा कि आपके नाम नामान्तकरण नही खुल सकता आप कोर्ट से आदेश करवाने के लिये कहा इस प्रकार उपरोक्त विवेचन एवं प्रतिवादी की सहमकत अनुसार वादीगण के पुर्वज द्वारा क्रय शुदा भूमि का नामान्तकरण मुताबिक विक्रय पत्र अनुसार वादीगण के नाम

उपखण्ड अधिकारी
धाकसू (जयपुर)

खुलवाना उचित समझते है क्योकि इस बाबत् प्रतिवादी ने भी अपनी सहमति पत्र दे दिया गया।

अतः दावा वादीगण मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक डिक्री किया जाकर वाके ग्राम सीमल्यावास वाटिका तहसील चाकसू के खाता संख्या 191 के खसरा नंबर 612, 613, 669 , 673, 792, 812, 816, 970, 972, 973 कुल किता 10 कुल रकबा 3.87 है0 मे से प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से 50/387 का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, एवं इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय अनुसार डिक्रि जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)